न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
011/2012 (GCMS 2012/00022)	28.03.2012	29.01.2021

अनवान

संदीप पिता गोपाललाल स्वर्णकार जाति स्वर्णकार उम्र 26 वर्ष पेशा व्यापार निवासी भोपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

निगराकार

बनाम

1. रिखबलाल पिता कन्हैयालाल पोखरना जाति जैन उम्र 60 वर्ष पेशा व्यापार निवासी भोपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. ग्राम पंचायत भोपालसागर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भोपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ ।

गैर निगराकारान

–:: निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ::–

उपस्थिति :– श्री सावन श्रीमाली — अधिवक्ता निगराकार
श्री अब्दुल हमीद (ब्रीफ धारक) — अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1
अनुपस्थित — गैर निगराकार संख्या 2

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका खिलाफ गैर निगराकारान के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम भोपालसागर तहसील कपासन में प्रार्थी का एक मकान है जो कि 87 फीट और 40.5 फीट चौडा भू–भाग में स्थित है। उक्त भूखण्ड के पडौस पूर्व में डालु भील का मकान, पश्चिम में रिखबलाल पोखरना का नोहरा, उत्तर में आम रास्ता एवं दक्षिण में आम रास्ता मुसलमानों के मौहल्ले में जाने का है। उक्त चारों पडौसों मध्य स्थित निगराकार का मकान है। प्रार्थी के मकान के पश्चित दिशा में विपक्षी गैर निगराकार संख्या 1 रिखबलाल पोखरना का जुडवा नोहरा स्थित है। प्रार्थी के मकान के सामने पश्चिम उत्तर की और 10 फीट बाई 7 फीट कुल 70 वर्गफीट भू–भाग को विपक्षी संख्या 1 अपनी निजी चबूतरी की भूमि बता रहा है और उक्त भूमि पर नाजायज निर्माण करना चाह रहा है जबकि ऐसी कोई चबूतरी की भूमि विपक्षी संख्या 1 की मौके पर स्थित पर स्थित नहीं है। गांव भोपालसागर के वार्ड संख्या 4 में स्थित उक्त 7 फीट बाई 10 फीट कुल 70 वर्गफीट की सम्मत्ति के पडौस पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम विपक्षी संख्या 1 के कब्जे का नोहरा, उत्तर आम रास्ते की जमीन एवं दक्षिण प्रार्थी का स्वयं का मकान है। उक्त भू–भाग को प्रार्थना पत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादास्पद भू–भाग कहा जायेगा। विवादास्पद भू–भाग आम रास्ते का हिस्सा [illegible] प्रार्थी के मकान का फ्रन्टेज बिगड जायेगा और सर्वेला[illegible] भी [illegible] जायेगा। विवादास्पद भू–भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:07 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सार्वजनिक उपयोग–उपभोग की भूमि है और उक्त भूमि पर कोई एक व्यक्ति अधिकार जमाकर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। गांव में चबूतरियों का स्वामित्व ग्राम पंचायत को होता है, और यह कोई चबूतरी नहीं है। फिर भी विकल्प में अगर इसे चबूतरी माना जावें तो भी प्रार्थी के हक हिस्से की जमीन जो प्रार्थी के मकान के फ्रन्टेज में है। उसके उपयोग–उपभोग करने का अधिकार प्रार्थी को ही है। अव्वल विवादास्पद भू–भाग को ग्राम पंचायत भोपालसागर को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत भोपालसागर ने भी दिनांक 03.03.2012 को लिखित में आदेश दिया है कि विपक्षी रिखबलाल पोरखना का उक्त विवादास्पद भू–भाग का विक्रय नहीं किया गया है और विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में कोई पट्टा ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा जारी नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 1 का पट्टा इस विवादास्पद भू–भाग के बारे में होने का कथन गलत और झूठा रहा है। अव्वल ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा कोई पट्टा उक्त विवादास्पद भू–भाग का विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी नहीं किया गया है। विकल्प में उक्त विवादास्पद भू–भाग का कोई पट्टा ग्राम पंचायत से विपक्षी संख्या 1 ने प्राप्त कर लिया हो तो वह प्रार्थी संदीप के हितों के विपरित होकर प्रभावशून्य है। दो पक्षों के बीच में स्थित खुले स्थान की भूमि को यदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं माना जावें तो भी किसी एक पक्ष को उसे हथियानें व अतिक्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है बल्कि उक्त दोनों पक्षों के बीच स्थित जायदाद को दोनो पक्षों के मध्य निलामी बोली बोलकर ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय किया जाना आवश्यक है। नियमों व विधि के प्रावधानों अनुसार कोई कार्यवाही कर किसी प्रकार का कोई पट्टा विपक्षी संख्या 1 ने प्राप्त नहीं किया है। विवादास्पद भू–भाग का यदि कोई पट्टा विपक्षी संख्या 1 के पास हो तो उसे प्रभावशून्य विधि विपरित करार दिया जाकर निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। विवादास्पद भू–भाग के पट्टे की कोई नकल नहीं है और न ही कोई नकल ग्राम पंचायत भोपालसागर के पास है। विपक्षी संख्या 1 के द्वारा कोई कथित विवादास्पद भू–भाग का पट्टे का कोई रिकार्ड भी ग्राम पंचायत भोपालसागर में नहीं है परन्तु विपक्षी संख्या 1 का कथन रहा है कि विपक्षी संख्या 1 के पास उक्त विवादस्पद भू–भाग का पट्टा है तो उस पट्टे को जो कि विधि विपरित है उसे निरस्त फरमाये जाना न्यायोचित है। उक्त विवादास्पद भू–भाग पर विपक्षी संख्या 1 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विवादास्पद भू–भाग पर नालदा निकालकर प्रार्थी को परेशान व हैरान करने की नियत से गन्दगी कर रखी है जिस पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कपासन के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 133 जा0फौ0 पेश किया जो कि प्रकरण संख्या 06/2011 पर दर्ज होकर दिनांक 30.11.2011 को निर्णित हो चुका है और उक्त निर्णय में भी न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कपासन द्वारा ग्राम पंचायत भोपालसागर को नाली निर्माण कर मौके से गंदा पानी बाहर निकालने की व्यवस्था के निर्देश व आदेश दिया है जिससे साफ जाहिर है कि उक्त भू–भाग नाडी, नाली के लिए सार्वजनिक उपयोग भूमि है जिस पर विपक्षी संख्या 1 को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 02.03.2012 को विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त विवादास्पद भू–भाग पर नाजायज कब्जा करने लगा और प्रार्थी को उक्त विवादास्पद भू–भाग पर निर्माणकरने का कहने लगा तो प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत भोपालसागर में पट्टे की जानकारी के लिये आवेदन दिया जिस पर दिनांक 03.03.2012 को ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा लिखित में कोई पट्टा नहीं जारी होने की सूचना दी गई और प्रार्थी को इसका पता चलते ही तत्काल यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:07 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रहा है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादास्पद भू–भाग का यदि विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से कोई पट्टा प्राप्त किया हो तो उस पट्टे को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें और विवादास्पद भू–भाग को सार्वजनिक उपयोग–उपभोग में रखवाये जाने का निर्देश ग्राम पंचायत भोपालसागर को प्रदान करावें।

इस पर निगराकार की निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 24.04.2012 को गैर निगराकार संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये और अधिकार पत्र पेश किया। गैर निगराकार संख्या 1 की और से दिनांक 17.07.2012 को जवाब निगरानी पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि निगरानी की कलम संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी के पास उक्त भूखण्ड कहॉ से आया है यदि प्रार्थी ने किसी से भूखण्ड खरीदा है तो किससे खरीदा यदि खरीदा है तो उसकी रजिस्ट्री पेश करें एवं इस भूखण्ड की लम्बाई चौडाई बताई गई जो गलत है प्रार्थी की उत्तर की तरफ 10 फीट आगे बढ गया प्रार्थी के उत्तर की तरफ 10 फीट आगे बढ जाने के कारण सरकारी नाली बंद हो गई है। प्रार्थी के मकान के पश्चिम दिशा में विपक्षी संख्या 1 का नोहरा स्थित है तथा प्रार्थी द्वारा जिस चबूतरें के बारे बताया जा रहा है वह चबूतरा प्रार्थी के मकान के उत्तर की और स्थित है जिसकी साईज 10 X 7 = 70 वर्गफीट है जिसका विपक्षी संख्या 1 ने पंचायत से दिनांक 05.09.1979 को पट्टा प्राप्त किया है जिसे करीब 33 वर्ष हो चुके है जिस पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा हो कर उसका उपयोग उपभोग भी विपक्षी संख्या 1 ही कर रहा है इस स्थान पर विपक्षी संख्या 1 के पत्थर व पट्टिया पडी है विपक्षी संख्या 1 को इस भूखण्ड का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है प्रार्थी ने 10 X 7 = 70 फीट का पडौस बताया है वह गलत है जबकि वास्तविक पडौस पूर्व में खाली पडी हुई जमीन (इसका उपयोग उपभोग प्रार्थी करना चाहता है), पश्चिम में विपक्षी संख्या 1 के कब्जे का नोहरा, उत्तर में आम रास्ता जो चबूतरे की जगह 10 X 7 = 70 वर्गफीट को छोडने के बाद आम रास्ता एवं दक्षिण में प्रार्थी का मकान। आम रास्ता तिरछा है फ्रन्टेज नहीं बिगडेगा प्रार्थी अपने मकान के आगे उत्तर की तरफ 10 फीट आगे बढ जाने से प्रार्थी स्वयं के मकान का फ्रन्टेज बिगडेगा तो इसकी जिम्मेदारी विपक्षी की नहीं है। यह चबूतरा विपक्षी संख्या 1 के हक में है तथा विपक्षी संख्या 1 के मकान से लगा हुआ है तथा चबूतरे की तरफा विपक्षी संख्या 1 के हक में है तथा विपक्षी संख्या 1 के मकान से लगा हुआ है तथा है तथा चबूतरे की तरफ विपक्षी संख्या 1 ने अपने मकान का दरवाजा भी निकाल रखा है। विपक्षी संख्या 1 ने यह पट्टा ग्राम पंचायत से दिनांक 05.09.1979 को प्राप्त किया तथा आवश्यक शुल्क जमा करवानें के पश्चात ही पंचायत ने विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी किया है। विपक्षी संख्या 1 ने पट्टा प्राप्त किया जिसको करीब 33 वर्ष हो चुके है यह पट्टा विपक्षी संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया है विपक्षी संख्या 1 को अतिक्रमणी नहीं है प्रार्थी द्वारा 33 वर्ष के बाद इस तरह का एतराज उठाना गलत है। ग्राम पंचायत भोपालसागर ने ही पट्टा दिया है इसका रेकार्ड ग्राम पंचायत भोपालसागर के पास होना चाहिए पट्टे की फोटोप्रति पेश है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट कपासन ने पानी निकालने की व्यवस्था का आदेश देना स्वीकार है यह गंदा पानी नाली से निकला जाता है नाला पश्चिम से पूर्व की और है [illegible] प्रार्थी [illegible] मकान से 10 फीट आगे बढ गया है इसलिये पानी निकलने [illegible] स्या हो गई है पश्चिम से पूर्व की और नाली वर्षो से [illegible] अपने मकान से आगे बढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:07 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाने कारण नाली में पत्थर व मट्टी भर गई है यह प्रार्थी की गलती के कारण प्रार्थी अपने मकान से 10 फीट आगे बढ जाने के कारण गंदा पानी निकालने में समस्या पैदा हुई है जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। इस विवादग्रस्त भूमि पर 05.09.1979 से लगातार शांतिपूर्वक विपक्षी संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है तथा आज भी कब्जा विपक्षी संख्या 1 का ही है निगरानी मियाद से बाहर है 33 वर्ष बाद यह निगरानी पेश की गई जो चलने योग्य नहीं है। विवादित मकान प्रार्थी का नहीं है तथा गोपाललाल स्वर्णकार का है उक्त मकान के कागजात भी पेश नहीं किये है जो पेश करना आवश्यक है व प्रार्थी के मकान के कागजात पेश हो जाने पर स्पष्ट हो जाएगा कि प्रार्थी 10 फीट उत्तर की और आगे बढ कर अतिक्रमण कर नाली को बंद कर दी है नाली का ढलान पश्चिम की और है प्रार्थी के मकान के बाहर उत्तर दिशा में नाली थी आगे पूर्व डालु भील के मकान के बाहर नाली बनी हुई है। प्रार्थी के पिता तहसीलदार होकर प्रभावशाली है इस कारण से प्रार्थी ने अपने मकान के आगे उत्तर की तरफ 10 फीट आगे बढ कर अतिक्रमण कर नाली को बन्द कर दी है। निगरानी से यह स्पष्ट है कि वह पट्टा निरस्त कराने बाबत् नहीं है अपनी निजी सुविधा प्राप्त करने के लिए यह गलत निगरानी पेश की है प्रार्थी अपनी निजी सुविधाव अन्य अनुतोष प्राप्त करना चाहता है तो सिविल कोर्ट में कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 1 का जवाब स्वीकार फरमाया जावें प्रार्थी की निगरानी खारीज फरमाई जावें।

दिनांक 11.03.2014 को सचिव ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा कन्हैयालाल जी पोखरना के संबंधित 1979 में जारी अस्थाई चबूतरी व उनके नोहरे के पट्टे संबंधित रेकार्ड ढूढने पर नहीं मिला इससे जाहिर होता है कि पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर है। दिनांक 16.10.2020 को गैर निगराकार संख्या 1 के जवाबानुसार विकास अधिकारी भूपालसागर से ग्राम पंचायत भूपालसागर के पट्टा संख्या 58 दिनांक 05.09.1979 का अभिलेख तलब किया गया। इस पर विकास अधिकारी भूपालसागर द्वारा पत्रांक/पसभू/पंचायत/2020–21/517 दिनांक 23.10.2020 से अवगत कराया गया कि पट्टा संख्या 058 निर्णय दिनांक 05.09.1979 एवं इससे संबंधित रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 24.12.2020 को अधिवक्ता गैर निगराकार द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। लिखित बहस की नकल वकील निगराकार को दिलवाई गई। वकील निगराकार के मौखिक बहस करने के निवेदन पर वकील निगराकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। वकील निगराकार ने बहस पत्रावली में निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया बताया कि विपक्षी गैर निगराकार संख्या 1 रिखबलाल पोखरना का जुडवां नोहरा स्थित है। प्रार्थी के मकान के सामने पश्चिम उत्तर की और 10 फीट बाई 7 फीट कुल 70 वर्गफीट भू–भाग को विपक्षी संख्या 1 अपनी निजी चबूतरी की भूमि बता रहा है और उक्त भूमि पर नाजायज निर्माण करना चाह रहा है जबकि ऐसी कोई चबूतरी की भूमि विपक्षी संख्या 1 की मौके पर स्थित पर स्थित नहीं है। विवादास्पद भू–भाग आम रास्ते का हिस्सा होकर प्रार्थी के मकान का फ्रन्टेज बिगड जायेगा और सर्वेला भी खराब हो जायेगा। विवादास्पद भू–भाग सार्वजनिक उपयोग–उपभोग की भूमि है और उक्त भूमि पर कोई एक व्यक्ति अधिकार जमाकर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। गांव में चबूतरियों का स्वामित्व ग्राम पंचायत को होता है और यह कोई चबूतरी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:07 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राम पंचायत भोपालसागर ने भी दिनांक 03.03.2012 को लिखित में आदेश दिया है कि विपक्षी रिखबलाल पोरखना का उक्त विवादास्पद भू–भाग का विक्रय नहीं किया गया है और विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में कोई पट्टा ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा जारी नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 1 का पट्टा इस विवादास्पद भू–भाग के बारे में होने का कथन गलत और झूठा रहा है। अव्वल ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा कोई पट्टा उक्त विवादास्पद भू–भाग का विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी नहीं किया गया है। विकल्प में उक्त विवादास्पद भू–भाग का कोई पट्टा ग्राम पंचायत से विपक्षी संख्या 1 ने प्राप्त कर लिया हो तो वह प्रार्थी संदीप के हितों के विपरित होकर प्रभावशून्य है। विवादास्पद भू–भाग के पट्टे की कोई नकल नहीं है और न ही कोई नकल ग्राम पंचायत भोपालसागर के पास है। विपक्षी संख्या 1 के द्वारा कोई कथित विवादास्पद भू–भाग का पट्टे का कोई रिकार्ड भी ग्राम पंचायत भोपालसागर में नहीं है परन्तु विपक्षी संख्या 1 का कथन रहा है कि विपक्षी संख्या 1 के पास उक्त विवादस्पद भू–भाग का पट्टा है तो उस पट्टे को जो कि विधि विपरित है उसे निरस्त फरमाये जाना न्यायोचित है। उक्त विवादास्पद भू–भाग पर विपक्षी संख्या 1 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विवादास्पद भू–भाग पर नालदा निकालकर प्रार्थी को परेशान व हैरान करने की नियत से गन्दगी कर रखी है जिस पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कपासन के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 133 जा0फौ0 पेश किया जो कि प्रकरण संख्या 06/2011 पर दर्ज होकर दिनांक 30.11.2011 को निर्णित हो चुका है और उक्त निर्णय में भी न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कपासन द्वारा ग्राम पंचायत भोपालसागर को नाली निर्माण कर मौके से गंदा पानी बाहर निकालने की व्यवस्था के निर्देश व आदेश दिया है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादास्पद भू–भाग का यदि विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से कोई पट्टा प्राप्त किया हो तो उस पट्टे को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें और विवादास्पद भू–भाग को सार्वजनिक उपयोग–उपभोग में रखवाये जाने का निर्देश ग्राम पंचायत भोपालसागर को प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस समाप्त की।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार ने लिखित बहस में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 रिखबलाल के पिता कन्हैयालाल ने एक प्रार्थनापत्र दिनांक 06.01.1979 को ग्राम पंचायत भोपालसागर में प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि मेरे मकान के बाहर चबूतरियों को पक्की बनाने हेतु पट्टा जारी स्वीकृति प्रदान करावें। पंचायत कोरम में पत्रावली संख्या 058/78 79 बनाकर गहन जांच पडताल कर विपक्षी संख्या 1 के पिता कन्हैयालाल को मकान के बाहर अस्थाई रूप से चबूतरियों पक्की बनाने की स्वीकृति दिनांक 05.09.1979 को प्रदान कर दी तथा आदेश दिया कि चबूतरी जिसकी लम्बाई 33 फीट चौडाई 6 फीट तथा दूसरी तरफ चबूतरी लम्बाई 10 फीट चौडाई 7 फीट कुल 268 वर्गफीट के 25 पैसे प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से 67/– रूपये अक्षरे सतेसठ रूपया जमा करानें का आदेश कन्हैयालाल विपक्षी संख्या 1 के पिता के हक में हुआ। विपक्षी संख्या 1 के पिता ने 67/– रूपये पंचायत में जमा करायें। जिसकी रसीद नम्बर 80 दिनांक 08.09.1979 संलग्न है। इसी आदेशानुसार विपक्षी संख्या 1 के पिता ने पक्की चबूतरी का निर्माण सहज ढंग से कराया इसमें प्रार्थी के परिवार का कोई एतराज नहीं रहा। करीब 33 वर्ष बीत गये कभी भी प्रार्थी संदीप ने नाली के पानी के संबंध में कहीं कोई एतराज व शिकायत नहीं की। पहले पानी प्रार्थी संदीप के मकान के बाहर पंचायत द्वारा बनाई नाली में होकर ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:07 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाता था बिना कारण का विवाद संदीप व उसके पिता गोपाल स्वर्णकार ने उत्पन्न किया जब इन्होनें मकान बनाया तब पंचायत की नाली को प्रार्थी संदीप ने स्वयं तोड दी नाली के पत्थर अपने निर्माण कार्य में ले लिये साथ ही संदीप ने 10 फीट अतिक्रमण कर आगे बढ गया संदीप व उसके पिता गोपाल लाल ने पंचायत से अस्थाई चबूतरी बनाने आदि की स्वीकृति भी नहीं ली। प्रार्थी संदीप के पिता तहसीलदार होने से उनके प्रभाव से बिना कारण विवाद उत्पन्न कर रहे है जो निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 रिखबलाल को परेशान करने के लिये संदीप ने न्यायालय एसडीएम साहब कपासन में एक निराधार वाद धारा 133 सीआरपीसी के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 1 व ग्राम पंचायत भोपालसागर के विरूद्ध दायर किया है जो दिनांक 30.11.2011 को खारीज हुआ। इस प्रकरण में वादी संदीप द्वारा वादपत्र का पैरा नबंर 1 में कथन किया कि गांव के पानी की नाली निकली हुई है जिसमें उक्त मौहल्ले का पानी आगे जाता है इसी नाली में विपक्षी संख्या 1 रिखबलाल के मकान का पानी भी डालकर आगे पहुॅचाया जा सकाता है। श्रीमान एसडीएम साहब कपासन ने प्रार्थी संदीप के वाद निराधार तथ्यहीन होने से खारीज किया। विपक्षी संख्या 2 पंचायत की और से कोई जवाब पेश नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भोपालसागर विपक्षी संख्या 1 रिखबलाल के कार्य से सहमत व संतुष्ट है। श्रीमान एसडीएम साहब कपासन ने ग्राम पंचायत को वैद्य चबूतरी तोडने व चबूतरियों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का आदेश नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय एसडीएम साहब ने निर्णय में सिर्फ पंचायत को आदेश दिया कि दोनों पक्षों की मौजूदगी में जहां सुविधाजनक हो वहा से नियमानुसार निर्माण कर मौके से गंदा पानी की निकासी की व्यवस्था करावें। निर्णय में यह भी आदेश दिया कि कम से कम खर्चे में सुविधाजनक रूप से नाली निर्माण कर गंदा पानी बाहर निकलवानें की व्यवस्था करावें। विपक्षी संख्या 1 रिखबलाल भी यही बात शुरू से बात लिखित व मौखिक में कहता आया है कि गंदा पानी निकासी से पंचायत अपने स्तर पर नाली बनावें तथा सबकों संतुष्ट करें। किसी के दबाव में नहीं आवें। न्यायालय एसडीएम साहब कपासन ने सही निर्णय किया। अतः प्रार्थी की निगरानी खारीज योग्य है। न्यायालय एसडीएम साहब कपासन के सही व विधिवत निर्णय किये जाने के बावजूद भी प्रार्थी संदीप ने निर्णय के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय में निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन निगरानी पेश की जो निश्चित रूप से खारीज होने योग्य है। प्रार्थी संदीप के पास उक्त भूखण्ड कहां से आया किससे क्रय किया वह भी नहीं दर्शाया साथ ही प्रार्थी के मकान की लम्बाई चौडाई गलत होने से निगरानी खारीज होने योग्य है। प्रार्थी के मकान के पश्चिमी दिशा में विपक्षी संख्या 1 का नोहरा है। प्रार्थी द्वारा जिस चबूतरे के बारे में बताया वह चबूतरा प्रार्थी के मकान के उत्तर की और स्थित है। विपक्षी संख्या 1 के नोहरे के पूर्व की और है जिसकी साईज 10 गुणा 7 बराबर 70 वर्गफीट है। विपक्षी संख्या 1 ने पंचायत से दिनांक 05.09.1979 को पट्टा से प्राप्त किया जिसके करीब 33 वर्ष हो गये है जिस पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा है। प्रार्थी ने 10 गुणा 7 फीट का पडौस बताया जो गलत है। वास्तविक पडौस निम्न है। पूर्व में खाली पडी हुई जमीन (इसका उपयोग उपभोग प्रार्थी करना चाहता है), पश्चिम में विपक्षी संख्या 1 के कब्जे का नोहरा, उत्तर में आम रास्ता जो चबूतरे की जगह 10 X 7 = 70 वर्गफीट को छोडने के बाद आम रास्ता एवं दक्षिण में प्रार्थी का मकान। अधीनस्थ न्यायालय कपासन के सामनें यह स्पष्ट होना आवश्यक था कि [illegible] से आम रास्ता तिरछा है। फ्रन्टेज नहीं बिगडेगा प्रार्थी अपने मकान के आगे उत्तर की तरफ 10 फीट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:07 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आगे बढ जाने से प्रार्थी स्वयं के मकान का फन्टेज बिगडेगा तो इसकी जिम्मेदारी विपक्षी की नहीं है। विपक्षी संख्या 1 अपनी जगह सही होने से निगरानी खारीज होने योग्य है। चूबतरा विपक्षी संख्या 1 के हक में है। विपक्षी संख्या1 ने अपने मकान का दरवाजा भी निकाल रखा है। प्रार्थी ने पूर्व में कोई एतराज नहीं किया अब विवाद उत्पन्न कर निगरानी पेश की जो अवश्य ही खारीज करने योग्य है। यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 ने विधिवत पट्टा पंचायत से प्राप्त किये 33 वर्ष बीत गये पट्टे का रिकार्ड ग्राम पंचायत भोपालसागर के पास होना चाहिये। श्रीमान् के अवलोकन हेतु पट्टे की फोटो प्रति पेश है। इसी का अवलोकन कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिया जो सही है, उपखण्ड मजिस्ट्रेट साहब कपासन ने गंदा पानी निकालने की व्यवस्था का आदेश दिया नाला पश्चिम से पूर्व की और से परन्तु प्रार्थी संदीप अपने मकान से 10 फीट आगे बढ गया है इसलिये पानी निकालने में समस्या पैदा हुई थी। पश्चिम से पूर्व की और नाली वर्षो से बनी हुई है प्रार्थी ने अपने मकान से आगे बढ जाने के कारण ही नाले में पत्थर मिट्टी भर दी। यह प्रार्थी की गलती के कारण व 10 फीट आगे बढने से समस्या पैदा की। इसके बावजूद भी प्रार्थी ने निगरानी पेश की जो खारीज होने योग्य है। विवादित मकान प्रार्थी का नहीं होकर उसके पिता गोपाललाल स्वर्णकार का है। प्रार्थी के पास मकान के कागजात भी नहीं है। यदि कागजात होते तो दौराने कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय कपासन में पेश करते। प्रार्थी के पिता गोपाललाल स्वर्णकार तहसीलदार होकर प्रभावशील है इस कारण मकान के आगे उत्तर में 10 फीट ज्यादा आगे बढकर अतिक्रमण कर नाली को बंद कर दिया। प्रार्थी अपनी गलती छिपाने व निजी लाभ प्राप्त करने के लिये यह आधारहीन निगरानी पेश की जो प्रथम स्टेज पर खारीज होने योग्य है। उक्त निगरानी से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने निगरानी पेश कर विपक्षी संख्या 1 की चबूतरी का पट्टा निरस्त नहीं कराना चाहता केवल मात्र नाली से गंदा पानी निकासी की उचित व्यवस्था चाहता है किन्तु प्रार्थी 10 फीट आगे उत्तर दिशा में बढकर अतिक्रमण किया जो गलत होने से निगरानी खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की उक्त निगरानी गलत होने से मय हर्जे–खर्चे के खारीज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 28.01.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा गई मौखिक बहस को सुना गया। हमने निगरानी का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। तथ्यों का गहनता पूर्वक परिशीलन किया गया। उभयपक्ष की बहस का मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड का अध्ययन किया। पत्रावली को निर्णय हेतु रिजर्व रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने निगरानी का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। मामले में प्रार्थी निगराकार द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि विवादास्पद भू–भाग सार्वजनिक उपयोग–उपभोग की भूमि है और उक्त भूमि पर कोई एक व्यक्ति अधिकार जमाकर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। गांव में चबूतरियों का स्वामित्व ग्राम पंचायत को होता है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत भोपालसागर ने भी दिनांक 03.03.2012 को लिखित में आदेश दिया है कि विपक्षी रिखबलाल पोरखना का उक्त विवादास्पद भू–भाग का विक्रय नहीं किया गया है और विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में कोई पट्टा ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा जारी नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 1 का पट्टा इस विवादास्पद भू-भाग के बारे में होने का कथन गलत और झूठा रहा है। अब्बल, ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा कोई पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:07 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त विवादास्पद भू–भाग का विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी नहीं किया गया है। है। दो पक्षों के बीच में स्थित खुले स्थान की भूमि को यदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं माना जावें तो भी किसी एक पक्ष को उसे हथियानें व अतिक्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है बल्कि उक्त दोनों पक्षों के बीच स्थित जायदाद को दोनो पक्षों के मध्य निलामी बोली बोलकर ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय किया जाना आवश्यक है। नियमों व विधि के प्रावधानों अनुसार कोई कार्यवाही कर किसी प्रकार का कोई पट्टा विपक्षी संख्या 1 ने प्राप्त नहीं किया है। विवादास्पद भू–भाग का यदि कोई पट्टा विपक्षी संख्या 1 के पास हो तो उसे प्रभावशून्य विधि विपरित करार दिया जाकर निरस्त किया जावें। विवादास्पद भू–भाग के पट्टे की कोई नकल नहीं है और न ही कोई नकल ग्राम पंचायत भोपालसागर के पास है। विपक्षी संख्या 1 के द्वारा कोई कथित विवादास्पद भू–भाग का पट्टे का कोई रिकार्ड भी ग्राम पंचायत भोपालसागर में नहीं है परन्तु विपक्षी संख्या 1 का कथन रहा है कि विपक्षी संख्या 1 के पास उक्त विवादस्पद भू–भाग का पट्टा है तो उस पट्टे को जो कि विधि विपरित है उसे निरस्त फरमाये जाना न्यायोचित है। इसके प्रत्युत्तर में विपक्षी संख्या 1 द्वारा अवगत कराया कि विपक्षी संख्या 1 रिखबलाल के पिता कन्हैयालाल ने एक प्रार्थनापत्र दिनांक 06.01.1979 को ग्राम पंचायत भोपालसागर में प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि मेरे मकान के बाहर चबूतरियों को पक्की बनाने हेतु पट्टा जारी स्वीकृति प्रदान करावें। पंचायत कोरम में पत्रावली संख्या 058/78 79 बनाकर गहन जांच पडताल कर विपक्षी संख्या 1 के पिता कन्हैयालाल को मकान के बाहर अस्थाई रूप से चबूतरियों पक्की बनाने की स्वीकृति दिनांक 05.09.1979 को प्रदान कर दी तथा आदेश दिया कि चबूतरी जिसकी लम्बाई 33 फीट चौडाई 6 फीट तथा दूसरी तरफ चबूतरी लम्बाई 10 फीट चौडाई 7 फीट कुल 268 वर्गफीट के 25 पैसे प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से 67/– रूपये अक्षरे सतेसठ रूपया जमा करानें का आदेश कन्हैयालाल विपक्षी संख्या 1 के पिता के हक में हुआ। विपक्षी संख्या 1 के पिता ने 67/– रूपये पंचायत में जमा करायें। इसी आदेशानुसार विपक्षी संख्या 1 के पिता ने पक्की चबूतरी का निर्माण सहज ढंग से कराया इसमें प्रार्थी के परिवार का कोई एतराज नहीं रहा। करीब 33 वर्ष बीत गये कभी भी प्रार्थी संदीप ने नाली के पानी के संबंध में कही कोई एतराज व शिकायत नहीं की। विपक्षी संख्या 1 रिखबलाल को परेशान करने के लिये संदीप ने न्यायालय एसडीएम साहब कपासन में एक निराधार वाद धारा 133 सीआरपीसी के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 1 व ग्राम पंचायत भोपालसागर के विरूद्ध दायर किया है जो दिनांक 30.11.2011 को खारीज हुआ। न्यायालय एसडीएम साहब कपासन के सही व विधिवत निर्णय किये जाने के बावजूद भी प्रार्थी संदीप ने निर्णय के विरूद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन निगरानी पेश की जो निश्चित रूप से खारीज होने योग्य है। प्रार्थी संदीप के पास उक्त भूखण्ड कहां से आया किससे क्रय किया वह भी नहीं दर्शाया साथ ही प्रार्थी के मकान की लम्बाई चौडाई गलत होने से निगरानी खारीज होने योग्य है। प्रार्थी के मकान के पश्चिमी दिशा में विपक्षी संख्या 1 का नोहरा है। प्रार्थी द्वारा जिस चबूतरे के बारे में बताया वह चबूतरा प्रार्थी के मकान के उत्तर की और स्थित है। विपक्षी संख्या 1 के नोहरे के पूर्व की और है जिसकी साईज 10 गुणा 7 बराबर 70 वर्गफीट है। विपक्षी संख्या 1 ने पंचायत से दिनांक 05.09.1979 को पट्टा से प्राप्त किया जिसके करीब 33 वर्ष हो गये है जिस पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा है। प्रार्थी [illegible] गुणा 7 फीट का पडौस बताया जो गलत है। वास्तविक पडौस [illegible]। पूर्व में खाली पडी हुई जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:07 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(इसका उपयोग उपभोग प्रार्थी करना चाहता है), पश्चिम में विपक्षी संख्या 1 के कब्जे का नोहरा, उत्तर में आम रास्ता जो चबूतरे की जगह 10 X 7 = 70 वर्गफीट को छोडने के बाद आम रास्ता एवं दक्षिण में प्रार्थी का मकान। अधीनस्थ न्यायालय कपासन के सामनें यह स्पष्ट होना आवश्यक था कि शुरू से आम रास्ता तिरछा है। चूबतरा विपक्षी संख्या 1 के हक में है। विपक्षी संख्या1 ने अपने मकान का दरवाजा भी निकाल रखा है। प्रार्थी ने पूर्व में कोई एतराज नहीं किया अब विवाद उत्पन्न कर निगरानी पेश की जो अवश्य ही खारीज करने योग्य है। यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 ने विधिवत पट्टा पंचायत से प्राप्त किये 33 वर्ष बीत गये। प्रार्थी अपनी गलती छिपाने व निजी लाभ प्राप्त करने के लिये यह आधारहीन निगरानी पेश की जो प्रथम स्टेज पर खारीज होने योग्य है। उक्त निगरानी से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने निगरानी पेश कर विपक्षी संख्या 1 की चबूतरी का पट्टा निरस्त नहीं कराना चाहता केवल मात्र नाली से गंदा पानी निकासी की उचित व्यवस्था चाहता है।

अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा अवगत कराया कि पट्टा संख्या 058 निर्णय दिनांक 05.09.1979 एवं इससे संबंधित रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। जहॉ प्रार्थी निगराकार ने विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टे की वैद्यता का प्रश्न उठाया है वही विपक्षी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा जारी पट्टा संख्या 58 दिनांक 05.09.1979 की प्रति प्रस्तुत कर अपने पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी किये जाना अवगत कराया है किन्तु ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टा संख्या 058 निर्णय दिनांक 05.09.1979 एवं इससे संबंधित रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत में संबंधित पट्टे का रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के लिये विपक्षी संख्या 1 को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है किन्तु विपक्षी संख्या 1 अपने बचाव में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता था किन्तु विपक्षी संख्या 1 द्वारा केवल मात्र पट्टे की छाया प्रति प्रस्तुत की गई जो कि केवल विपक्ष संख्या 1 द्वारा की प्रस्तुत की गई। पट्टा की प्रति प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत नहीं कि गई क्यों कि प्रार्थी निगराकार द्वारा अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टे की प्रतिलिपि चाहने पर ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा लिखित में दिनांक 03.03.2012 को लिखित में आदेश दिया है कि विपक्षी रिखबलाल पोरखना का उक्त विवादास्पद भू–भाग का विक्रय नहीं किया गया है और विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में कोई पट्टा ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा जारी नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 स्वयं अपने पास उपलब्ध होने दस्तावेजों को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता था किन्तु विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नहीं किये इसके साथ विपक्षी संख्या 1 द्वारा 67/– रूपये जरिये रसीद संख्या 80 दिनांक 08.09.1979 से ग्राम पंचायत भोपालसागर में जमा कराये जाने का कथन किया गया इसके संबंध में किसी भी प्रकार से दस्तावेज, रसीद विपक्षी संख्या 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। इसके साथ ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कपासन के प्रकरण अंतर्गत धारा 133 सीआरपीसी के प्रकरण का तथ्य किया गया है, किन्तु अपने पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 05.09.1979 की वैद्यता एवं प्रमाणिकता के संबंध में कोई कथन, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। उपखण्ड मजिस्ट्रेट कपासन के प्रकरण अंतर्गत धारा 133 सीआरपीसी के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी इस निगरानी याचिका में किया जाना उचित नहीं है। इस निगरानी याचिका में केवल मात्र इस तथ्य को देखा जाना है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:07 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 58 दिनांक 05.09.1979 नियमानुसार जारी किया जाकर वैद्य पट्टा हैं, किन्तु विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 58 दिनांक 05.09.1979 की छाया प्रति के अवलोकन से भी पट्टें पर अंकित दिनांक विरोधाभासी प्रतीत होती है, जहां पट्टे पर पट्टा दिनांक 05.09.1979 अंकित की गई है किन्तु पट्टे पर सरपंच ग्राम पंचायत भोपालसागर के हस्ताक्षर दिनांक 11.10.79 अंकित है ऐसी स्थिति में पट्टे के वैद्यता का प्रश्न उभर कर आता है। इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(10)परावि/विधि/संशोधन/ 2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है, जो शक्तियां इस न्यायालय को प्राप्त है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेख में भी ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं होता है कि विपक्षी संख्या 1 को पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं विपक्षी संख्या 1 द्वारा कथित पट्टा संख्या 058 दिनांक 05.09.1979 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं गैर निगराकार संख्या 1 के कथित पट्टा संख्या 058 दिनांक 05.09.1979 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी भोपालसागर एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भोपालसागर को भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:07 IST
Reason: SelfAttested